

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

कमांक प० 12(6) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 6/9/2024

आदेशः

श्री नीरज कुमार गुर्जर, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाअधिवक्ता—गा, जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र कमांक AAG/GA/2024/1252 दिनांक 22.08.2024 के कम में श्री योगेन्द्र सिंह चारण, अधिवक्ता (पंजीयन कमांक—आर/ 09/ 2016) को दिनांक 22.08.24 से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमात्रे प्रदान की जाती है।

भास्मान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं—

1. जूनियर अधिवक्ता को राजकीय आधेवक्ता मय अतिरिक्त महाअधिवक्ता—गा, जोधपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी है।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाअधिवक्ता—गा, जोधपुर की अनुशांषा पर संयुक्त रूप से अनुपांतानुसार अथवा अनुशांषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित विपरीत रूप से प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय—समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

हृ.

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाअधिवक्ता, राज०।
4. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाअधिवक्ता—गा, जोधपुर।
5. सम्बन्धित अधिवक्ता।
6. सम्बन्धित कांशाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी—गा, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकार।
9. प्राग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

राजेश गुप्ता  
शासन सचिव, विधि